

**फॉर्म - जीआरएन
(विनियमन 7 देखें)**

(कैलेंडर वर्ष _____ के मार्च/जून/सितंबर/दिसंबर को समाप्त तिमाही के लिए)

भाग क: रिपोर्टिंग पक्ष का विवरण

1.	नाम *	
2.	पैन *	
3.	एलईआई	
4.	सीआईएन	

भाग ख: जारी की गई गारंटी की रिपोर्टिंग (प्रत्येक गारंटी के लिए भाग ख अलग से भरें)

5.	जमानतदार का विवरण	
i.	नाम *	
ii.	पैन	
iii.	एलईआई	
iv.	सीआईएन	
v.	आवासीय स्थिति *	निवासी/अनिवासी
vi.	जमानतदार और मुख्य देनदार के बीच संबंध *	(क) मुख्य देनदार के पेरेंट (ख) मुख्य देनदार की समूह इकाई (ग) जमानतदार का कोई संबंध नहीं है और वह एक बैंक है (घ) जमानतदार का कोई संबंध नहीं है और यह कोई अन्य वित्तीय संस्था है (ङ) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) _____
vii.	प्रमुख गतिविधि *	एनआईसी कोड:
6.	मुख्य देनदार का विवरण	
i.	नाम *	
ii.	पैन	
iii.	एलईआई	
iv.	सीआईएन	
v.	आवासीय स्थिति *	निवासी/अनिवासी
vi.	प्रमुख गतिविधि *	एनआईसी कोड:
7.	लेनदार का विवरण	
i.	नाम *	
ii.	पैन	
iii.	एलईआई	
iv.	सीआईएन	
v.	आवासीय स्थिति *	निवासी/अनिवासी
vi.	लेनदार की श्रेणी *	(क) बैंक (ख) अन्य वित्तीय संस्थान (ग) मुख्य देनदार के पेरेंट (घ) मुख्य देनदार की समूह इकाई (ङ) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) _____
vii.	प्रमुख गतिविधि *	एनआईसी कोड:

8.	गारंटी का विवरण	
i.	गारंटी का प्रकार *	(क) वित्तीय (ख) अन्य
ii.	मुख्य देनदार और लेनदार के बीच अंतर्निहित लेनदेन *	
iii.	गारंटी की राशि *	करेंसी: धनराशि:
iv.	जारी करने की तारीख *	__/__/__ (dd/mm/yyyy)
v.	वैधता तिथि *	__/__/__ (dd/mm/yyyy)
vi.	गारंटी कमीशन (करार के अनुसार) (करेंसी और राशि) *	करेंसी: धनराशि:
vii.	जहाँ जमानतदार एक एडी बैंक है, काउंटर गारंटी या संपार्श्विक जमा का विवरण, यदि कोई हो।	काउंटर गारंटर/जमाकर्ता का नाम: आवासीय स्थिति: निवासी / अनिवासी काउंटर गारंटी/ जमा की करेंसी: काउंटर गारंटी/ जमा की धनराशि:

भाग ग: संशोधन/पूर्व-समापन का विवरण (प्रत्येक संशोधित गारंटी के लिए एक भाग ग)

9.	पूर्व में रिपोर्ट की गई गारंटी लेनदेन संख्या *	
10.	क्या राशि में कोई बदलाव हुआ है? यदि हाँ, तो नई राशि बताएं	
11.	क्या वैधता अवधि बढ़ाई गई है? यदि हाँ, तो नई वैधता तिथि बताएं	
12.	क्या समय से पहले बंद की गई है? यदि हाँ, तो बंद होने की तिथि बताएं	

भाग घ: आह्वान का विवरण (प्रत्येक गारंटी आह्वान के लिए एक भाग घ)

13.	पूर्व में रिपोर्ट की गई गारंटी लेनदेन संख्या *	
14.	आह्वान की तिथि *	__/__/__ (dd/mm/yyyy)
15.	गारंटी के आह्वान और उसके पालन पर जमानतदार के प्रति उत्पन्न होने वाली देयता की राशि *	करेंसी: धनराशि:
16.	आह्वान का भुगतान *	(क) हाँ, आंशिक रूप से (ख) हाँ, पूरी तरह से (ग) नहीं
17.	भुगतान की तिथि	__/__/__ (dd/mm/yyyy)
18.	भुगतान की राशि	करेंसी: धनराशि:
19.	जमानतदार के प्रति परिणामी देयता को समाप्त करने के लिए सहमत अवधि (गारंटी के आह्वान की तारीख से)	(क) 1 वर्ष से कम (ख) 1 वर्ष या उससे अधिक व 3 वर्ष से कम (ग) 3 वर्ष या उससे अधिक

रिपोर्टिंग करने वाले पक्ष के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर		<u>स्टाम्प/सील</u>
प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम		

स्थान		दिनांक		
टेलीफोन नं.		ईमेल		
संलग्नकों की सूची				

फॉर्म भरने के अनुदेश

- 1) यह फॉर्म भारत में निवासी व्यक्ति, जिस पर इन विनियमावली के विनियम 7 के अंतर्गत रिपोर्टिंग दायित्व है, द्वारा प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 2) गारंटी जारी करने के लिए भाग क और भाग ख जमा किए जाएंगे। गारंटी में किसी भी बदलाव या उसका आह्वान करने की जानकारी भाग क और भाग ग या घ में भरकर दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। किसी भी भाग के लिए, जिन फ़्रील्ड पर तारांकन (*) का निशान है, उन्हें भरना ज़रूरी है। रिपोर्टिंग पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों के एलईआई, सीआईएन, पैन जैसे सभी अन्य फ़्रील्ड, जहाँ भी जानकारी उपलब्ध हो, भरे जाएंगे। एनआईसी कोड एनआईसी 2025 के अनुसार 2-अंक तक रिपोर्ट किया जाएगा।
- 3) यदि एक ही गारंटी के लिए एक से अधिक जमानतदार/ मुख्य देनदार/ लेनदार हों, तो उनमें से किसी को भी उस गारंटी की रिपोर्टिंग करने के लिए नामित किया जा सकता है।
- 4) पिछली अवधि में दी गई गारंटी की शर्तों में कोई भी परिवर्तन या उसके बंद होने की सूचना लेनदेन संख्या के साथ उसी फॉर्म में दी जाएगी। इस विनियमावली के लागू होने से पहले जारी की गई गारंटियों में परिवर्तन को संशोधन की तारीख से जारी गारंटी के रूप में दर्ज किया जाएगा।
- 5) यदि गारंटी एक ही रिपोर्टिंग अवधि के भीतर जारी और संशोधित की जाती है, तो इसे दो अलग-अलग गारंटियों के रूप में दर्ज किया जाएगा। पहली गारंटी संशोधन की प्रभावी तिथि से एक दिन पहले समाप्त मानी जाएगी और दूसरी गारंटी संशोधन की प्रभावी तिथि से शुरू मानी जाएगी। यदि गारंटी एक ही रिपोर्टिंग अवधि के भीतर जारी और समाप्त की जाती है, तो मूल गारंटी को भाग ख में वैधता तिथि के रूप में समाप्त होने की तिथि के साथ रिपोर्ट किया जाएगा।
- 6) भारतीय रिज़र्व बैंक यहाँ दी गई जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है।